Dch(L)-1260
4.11.16

सभी पत्र सचिव, भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय, को उनके नाम पर नहीं बल्कि पद के पते पर भेजे जाने चाहिए।
तार : "ट्रांसपोर्ट"

All communications should be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping, by title NOT by name.
Telegram: "TRANSPORT"

UHG-1461
27-10-16

भारत सरकार
Government of India
पोत परिवहन मंत्रालय
Ministry of Shipping
परिवहन भवन/Transport Bhawan
1, संसद मार्ग/1, Parliament Street
नई दिल्ली-110001/ New Delhi-110001

दिनांक 21-10-2016

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	
मुख्य प्रबंधक (प्रशा.) एवं सचिव	
संख्या	G-57
दिनांक	05.11.16

सं० ई-11013/5/2016-हिंदी

सेवा में

1. पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय
2. मंत्रालय के समस्त अधिकारी / अनुभाग

विषय: मंत्रालय की हिंदी गृह पत्रिका "नौतरणी" के अंक-6 के लिए लेख आदि आमंत्रित करने के बारे में ।

महोदया / महोदय,

यह मंत्रालय "नौतरणी" के नाम से हिंदी में एक गृह पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है । इस पत्रिका को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा मंत्रालय की गतिविधियों / कार्यकलापों का हिंदी में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ अपने कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करना है।

2. इस पत्रिका के अंक-6 में प्रकाशन हेतु मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से निम्नलिखित पर उनके लेख / रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

i. पोत परिवहन के कार्यों से संबंधित कोई भी विषय,
ii. समसामयिक एवं राजभाषा संबंधी विषय,
iii. साहित्यिक विधाओं यथा कहानी, कविता, नाटक, यात्रा-वृतांत और संस्मरण आदि और
iv. मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य-कलाप और उनकी राजभाषा हिंदी संबंधी मुख्य उपलब्धियां ।

3. यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के हिंदीत्तर भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखे गए लेखों / रचनाओं को 'नौतरणी' में प्रकाशन में प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. नौतरणी में प्रकाशित होने वाले लेखादि के लेखकों को मानदेय देने की भी व्यवस्था है।

इच्छुक लेखकों से अनुरोध है कि नौतरणी में प्रकाशन के लिए हिंदी में लिखे अपने लेख / साहित्यिक रचनाएं **संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पोत परिवहन मंत्रालय, कमरा सं० 11, 1 संसद मार्ग, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110 001** को 31 दिसम्बर, 2016 तक भेजें । कृपया आपने लेख (अधिकतम 2000 शब्दों में) आदि की सोफ्ट प्रति तथा उनसे संबंधित फोटोग्राफ (High resolution) इस मंत्रालय को ईमेल sunila.s@nic.in से भी भिजवाएं । कृपया यह भी प्रमाणित करें कि आपके द्वारा भेजा गया लेख/रचना स्वरचित और मौलिक है।

भवदीय

(सुनील कुमार)
संयुक्त निदेशक (रा०भा०)

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
हिन्दी अनुभाग
पंजीकरण
सं.- 29

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उप सचिव
मु.प्र (प्रशासन)
स. प्र. (राजभाषा)

Dcn(C)-1261
4.11.16

फा.सं. ई-11011/8/2013-हिन्दी
भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
मुख्य प्रबंधक (प्रशा.) एवं सचिव
संख्या G-55
दिनांक 05.11.16

UHG 1462
27-10-16

कमरा सं. 11, परिवहन भवन
1, संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 17.10.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना वर्ष 2016-17

भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत भारत के नागरिकों से विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान निम्नलिखित दो श्रेणियों हेतु प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं ।

1. भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई **मौलिक पुस्तक के लिए पुरस्कार योजना**;
2. भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर अन्य भाषाओं से हिन्दी में **अनुदित पुस्तक के लिए पुरस्कार योजना**।

उक्त दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि है । योजना का विवरण और फॉर्म इसके साथ संलग्न है ।

3. इस योजना से संबंधित विवरण व प्रविष्टि फॉर्म इस मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय में प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख **31 मार्च, 2017** है।

4. इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इस पत्र की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि आप इस योजना का अपने-अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें और अपनी वेबसाइट के होमपेज पर इस योजना की जानकारी का लिंक उक्त तारीख तक उपलब्ध भी करवाएं ताकि यह योजना सर्वसुलभ हो ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

कृपया पावती भेजें ।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
हिन्दी अनुभाग
पंजीकरण
सं. 38
दि. 7/11/16
JNPT

(सुनील कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं. 011-23318215

सेवा में,

1. पोत परिवहन मंत्रालय के सभी अधिकारी / अनुभाग / सभी संबद्ध कार्यालय
2. राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय व केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. एन आई सी को इस अनुरोध के साथ कि पुस्तक लेखन योजना का कार्यालय ज्ञापन और शर्तें एवं नियम मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं और इसे 31 मार्च 2017 तक वेबसाइट पर रखें ।

मु.प्र.(प्रशा.)
उ.प्र.(राजभाषा)

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

विषय : भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर लिखी गई मौलिक पुस्तक और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

1.	योजना का नाम	भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर लिखी गई मौलिक पुस्तक और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना
2.	योजना का उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों को प्रोत्साहित करना है ।
3.	मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों के लिए पुरस्कारों की राशि एवं संख्या	प्रथम पुरस्कार 1,00,000/- रुपए (1) द्वितीय पुरस्कार 70,000/- रुपए (1) तृतीय पुरस्कार 50,000/- रुपए (1)
4	हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कारों की राशि एवं संख्या	प्रथम पुरस्कार 50,000/- रूपए (1) द्वितीय पुरस्कार 40,000/- रूपए (1) तृतीय पुरस्कार 30,000/- रूपए (1)
5.	प्रमुख विशेषताएं :	1. इस योजना का संचालन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । 2. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुरस्कार दिए जाएंगे ।
6.	योजना में भाग लेने के लिए पात्रता :	1. भारत के सभी नागरिक
		2. इस योजना में भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित मौलिक पुस्तकों तथा अनूदित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा । पांडुलिपि रूप में पुस्तक को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
		3. इस योजना में शामिल किए जाने के लिए भेजी जाने वाली पुस्तक, ज्ञापन की तारीख से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशित की गई हो ।
		4. पुस्तक में कम से कम 100 पृष्ठ होने चाहिए ।
		5. जिन लेखकों की पुस्तकों को इस योजना में देय पुरस्कारों की प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा, उनका अपनी पुस्तकों पर कॉपीराइट बना रहेगा ।
		6. इस प्रतियोगिता के लिए एक बार भेजी जा चुकीं पुस्तकों को दोबारा नहीं भेजा जा सकेगा।
		7. जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा ।
		8. पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी एच डी के लिए लिखे गए शोध ग्रन्थ, कविता, उपन्यास, कहानी नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।
		9. लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।
7.	साधारण शर्तें :	1. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की धनराशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा ।

		2. यदि किसी वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार योग्य नहीं समझी जाती है या प्रविष्टियों की संख्या तीन से कम हो तो पुरस्कार समिति द्वारा पुरस्कार न दिए जाने अथवा प्रोत्साहन स्वरूप उचित राशि देने का निर्णय लिया जा सकता है । 3. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा । 4. कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी ।
8.	मूल्यांकन समिति :	1. पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए तीन विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा । 2. प्रत्येक पुस्तक का तीन विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और वे संबंधित प्रविष्टियों पर समीक्षा भेजेंगे । 3. पुस्तक को विशेषज्ञों की टिप्पणियों के साथ पुरस्कार समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।
9.	मानदेय	1. मूल्यांकनकर्ता को 5000/- रू. का मानदेय दिया जाएगा । (एक से अधिक प्रविष्टि होने पर भी)
.	पुरस्कार समिति :	1. इस समिति के अध्यक्ष सचिव, पोत परिवहन होंगे। 2. संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे और संयुक्त निदेशक (रा.भा.) इसके सदस्य सचिव होंगे । 3. यदि मूल्यांकन समिति /पुरस्कार समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहे तो वह उस वर्ष मूल्यांकन/पुरस्कार समिति का सदस्य नहीं होगा। 4. पुरस्कार समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा । 5. पुरस्कारों की घोषणा के उपरांत मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह/हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा ।
11.	योजना में संशोधन करने का अधिकार :	पोत परिवहन मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा ।
12.	सामान्य :	इस योजना के संबंध में सूचना हमारी वेबसाइट www.shipping.nic.in पर भी उपलब्ध है ।
13.	प्रविष्टि भेजन का पता :	लेखक अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को भेजेंगे ।
14.		पुरस्कार वितरण समारोह के लिए दिल्ली से बाहर से आने वाले पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने ख़र्च पर करनी होगी ।

<u>प्रपत्र</u>

भारतीय पत्तनों और नौवहन से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई अथवा अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

1	योजना की उस श्रेणी का नाम लिखें जिसके लिए प्रविष्टि भेजी गई है	
2	पुस्तक का शीर्षक	
3	पुस्तक में लिए गए विषय	
4	लेखक / लेखकों का/ के नाम	
	पूरा पता :	
	मोबाईल / दूरभाष संख्या	
	ई- मेल पता	
5	प्रविष्टि का विवरण : 1. प्रकाशक का नाम 2. प्रकाशक का पूरा पता 3. प्रकाशन का वर्ष (दिनांक एवं माह सहित)	
6	क्या इस पुस्तक को पहले केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में भेजा गया था? हां/ नहीं	
	यदि हां तो कृपया इसका पूरा विवरण दें	
7	मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि :-	
	I. मैं/ हम भारत का/ के नागरिक हूँ / हैं	
	II. यह पुस्तक मैंने / हमने अन्य भाषा से हिंदी में अनुवाद की है। इसके लिए हमने पुस्तक के मूल लेखक से अनुमति ले ली है।	
	III. यह पुस्तक मेरे/ हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है	
	IV. इस योजना के अंतर्गत अपनी पुस्तक देने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।	
	V. पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए यथास्थान संदर्भ दिए गए हैं और दी गई सूचना के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।	
	VI. यह पुस्तक पहले इस योजना में नहीं भेजी गई है।	

नोट : पुस्तक का सार (दो पृष्ठों में) इसके साथ संलग्न है ।

मैं/ हम इस योजना के प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूं/ देते हैं।

लेखक(कों) के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

स्थान ....

तारीख ....